

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम R.A.S

वादी
कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
निवासी जुबलीगंज तहसील शिवगंज।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मंगलदास पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
2. चम्पालाल पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 02/2021

निर्णय:-

दिनांक 22.12.2021

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने के सम्बन्ध में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिवगंज ने पत्राक/पीडी/2021/3867 दिनांक 22.12.2021 से बंटवाड प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वाद पक्षकार अधिवक्ता को अवलोकन करवाया जाने पर कोई आपत्ति/असहमति जाहिर नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित एवं कतिपय प्रावधानों के तहत तहसीलदार शिवगंज द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 मौजा कौलाशनगर-1 खाता संख्या 684 खसरा नम्बर 32 व 336 किता दो कुल रकबा 27-07 बीघा, जमाबंदी संवत् 277-2080 मौजा जुबलीगंज खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 2070 रकबा 4-1800 बीघा एवम् जमाबंदी संवत् 2073-2076 मौजा मनादर-2 खाता संख्या 342 खसरा नम्बर 2300 रकबा 3-03 बीघा दर्ज भूमि का खातेदारों के हक हिस्सा अनुसार विभाजन कर पेश बंटवाड प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा प्रदर्शित बंटवारे उचित होने से पक्षकारों की सहमति के आधार स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकाराना खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पूर्वा मुर्तिब हो।
आज दिनांक 22.12.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शिवगंज (सिरोही)



डिक्री व मुकदमें इब्दाई

(आर्डर 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम R.A.S

वादी

वनाम

प्रतिवादीगण

कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
निवासी जुबलीगंज तहसील शिवगंज।

1.मंगलदास पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
2.चम्पालाल पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव
3.राजस्थान सरकार तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 02/2021
दिनांक 22.12.2021

पत्रावली पेश वाद पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 मौजा कैलाशनगर-1 खाता संख्या 684 खसरा नम्बर 32 व 336 किता दो कुल रकबा 27-07 बीघा, जमाबंदी संवत् 277-2080 मौजा जुबलीगंज खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 2070 रकबा 4-1800 बीघा एवम् जमाबंदी संवत् 2073-2076 मौजा मनादर-2 खाता संख्या 342 खसरा नम्बर 2300 रकबा 3-03 बीघा दर्ज भूमि का खातेदारो के हक हिस्सा अनुसार विभाजन कर पेश बंटवाड प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा प्रदर्शित बरंग उचित होने से पक्षकारो की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से 22.12.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

| मुदाई | रूपया/पै. | मुद्दायलाह | रूपया/पैसे |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुक्मनामा मीजान | -शून्य- | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान | --शून्य-- |

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)